कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
जन स्वास्थ्य विभाग
एन.आई.टी.

कार्य का नाम :– स्वच्छ सर्वेक्षण 2023–24 के समय होर्डिंग्स, फ्लैक्स, पाम्पलेट आदि मुद्रण कार्य बाबत्।

क्रं.	कार्य का विवरण	साईज	प्रति नग दर अंको में	प्रतिनग दर शब्दों में
1.	पाम्पलेट (हेण्डबिल)	8.5 × 11 इंच		
2.	पोस्टर	17 × 22 इंच		
3.	बैनर (शासन द्वारा अधिकृत ईको नॉन पीवीसी फ्लैक्स बैनर)	प्रति वर्गफीट		
4.	होर्डिंग्स	प्रति वर्गफीट		
5.	शौचालय हेतु शासन द्वारा निर्धारित डिजाईन, ड्राईंग, दर पर कार्य करने हेतु।	सहमति		
	कुल राशि –			

संलग्न :– नियम शर्ते

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

पाम्पलेट (हेण्डबिल) पोस्टर, बैनर, (शासन द्वारा अधिकृत ईको नॉन पी.वी.सी. फ्लैक्स बैनर) होर्डिग्स, डिजिटल वॉल पेंटिंग, शौचालय हेतु डिजाईन, ड्राईंग कार्य हेतु नियम व शर्ते :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत वॉटर प्लस एवं स्टार रेंटिंग तथा अन्य कार्य हेतु होर्डिग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार एवं जनजागरूकता लाने हेतु आवश्यकतानुसार पाम्पलेट, पोस्टर, बैनर एवं होर्डिग्स तैयार किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य के लिए ऑफरकर्ता को लिफाफा पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
2. उक्त कार्य के लिए मान्य इको साल्वेट फ्लैक्स मटेरियल उपयोग करने वाले प्रतिष्ठान पिंग्रटिंग प्रेस वालो से कार्य कराया जावेगा।
3. उक्त कार्य करने के लिए प्रतिष्ठानों, दक्षता रखने वाले एजेंसी, फर्म ही निविदा में भाग ले सकता है।
4. न्युनतम दर पर कार्य करने वाले प्रतिष्ठान से कार्य कराया जावेगा।
5. छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मान्य इको साल्वेट फ्लैक्स मटेरियल उपयोग करने संबंधी आशय का शपथ पत्र ग्रीन वाटर पेपर में नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा की शर्त पर कार्य दिया जावेगा।
6. कार्य के उपरांत ही निगम द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। नगद भुगतान की शर्ते मान्य नहीं होगी।
7. कार्य स्थल पर ही (निर्धारित होर्डिग्स आदि) लगाकर देना होगा।
8. मुख्य मार्ग में निगम के लगे होर्डिग्स आदि निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर लगाना होगा एवं जोन कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
9. होर्डिग्स की संख्या आवश्यकतानुसार तय की जावेगी। दर प्रति वर्ग मीटर पर देना होगा। (संलग्न एन.आईटी. अनुसार देना होगा)
10. स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत वॉटर प्लस एवं स्टार रेटिंग का कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए दूरभाष में सूचना मिलते ही अतिशीघ्र होर्डिग्स उपलब्ध कराना होगा।
11. शौचालय हेतु शासन द्वारा निर्धारित डिजाईन, ड्राईंग एवं निर्धारित दर पर कार्य करना होगा।
12. किये गये समस्त कार्यो का लोकेशन फोटोग्राफ्स (जीयोटैग) देयक बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. पाम्पलेट/हेण्डबिल इत्यादि की एक प्रति बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. पात्र ऑफरकर्ता को सीधे कार्यादेश जारी कर कार्य कराया जावेगा।
15. ऑफरकर्ता को नियम शर्त के साथ संलग्न दर सूची में दर भरकर देना होगा।
16. ऑफरकर्ता को अपने फर्म/एजेंसी का गोमास्ता पंजीयन आदि दस्तावेज संलग्न करना होगा। यदि किसी निकाय में कार्य किया गया है, तो निकाय का कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
17. ऑफरकर्ता न्यूनतम दरदाता से अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जावेगा, आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि किया जावेगा।
18. धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त के नाम पर एफ.डी.आर. लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना होगा तथा निविदा दर लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा, उक्त दोनो लिफाफा दस्तावेज सहीत बड़ा लिफाफा "ग" में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई (स्वास्थ्य विभाग) के पते पर निर्धारित समयानुसार प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा दर नहीं खोला जायेगा।

.........2

19. राशि रु. 15,000.00 का अमानत राशि का एफ.डी.आर. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
20. जी.एस.टी. का जीवित प्रमाण पत्र पंजीयन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं पात्र निविदाकर को जी.एस.टी. बील प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।
21. आवश्यकतानुसार समय–समय पर कार्यादेश जारी किया जावेगा।
22. निविदा स्वीकृति उपरांत पात्र निविदाकार को 100.00 रूपये के स्टॉम्प में नगर पालिक निगम भिलाई के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात कार्यादेश जारी किया जावेगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
24. निविदा स्वीकृति या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को होगा।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई